भारतीय खाद्य निगम को हानि

1871 **श्री राम नरेश यादव:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को भारी वित्तीय हानि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने कुछ योजनाबद्ध कदम उठाये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप निगम को किस सीमा तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए पूर्वनिश्चित मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली और उनका वितरण करता है। निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए खाद्यान्नों की लागत को पूर्णतया पूरा नहीं करते हैं। खाद्यान्नों की इक्रामिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा सुविचारित सामाजिक नीति के रूप में राजसहायता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को की जाती है।

तथापि, निगम को अपने विभिन्न परिचालनों में मुख्यतया मार्गस्थ और भंडारण हानियों के रूप में कुछ हानियां होती हैं। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के संगत विवरण नीचे दिए जाते हैं —

(लाख मीट्रिक टन में)
(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	खरीद + बिक्री		हानि		खरीद + बिक्री पर मात्रा के हिसाब से हानियों की प्रतिशतता
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1985-86	368.40	7585.07	5.95	130.12	1.62
1986-87	398.96	8949.10	6.51	151.60	1.63
1987-88	407.00	9113.17	7.21	170.87	1.72

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत में कमी करने विषयक प्रश्न पर सरकार और निगम दोनों ही बराबर ध्यान दे रहे हैं। इस लागत को कम करने के लिये जो विभिन्न उपाय किये गये हैं उसमें पूंजी की पुनर्संरचना करना, स्टाफ संख्या में कमी करना भण्डारण और मार्गस्थ हानि की प्रतिशतता में कमी करना, किराये पर लिये गये अलाभकारी गोदामों को खाली करना आदि शामिल है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की लागत की विस्तृत लेखापरीक्षा करने का काम औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपा गया है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक अनुसंधान आयोजन

1872 **श्री अजीत जोगी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में जनजातीय क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक अनुसंधान आयोजन के कुल 23 केन्द्रों में से केवल दो केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक जनजातीय लोग रह रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में इन केन्द्रों को स्थापित करने के विषय में सरकार के क्या मानदंड हैं,

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए किन्हीं नये केन्द्रों की स्वीकृति दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से कितने केन्द्रों का मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव): (क) और (घ) सूचना भिन्न राज्यों और मंत्रालयों से मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का प्रभाव

1873 **श्री अजीत जोगी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कितने वर्षों से चुने हुए जिलों में लागू है और इन जिलों में लगातार सूखे की स्थिति पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव रहा है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया गया है,

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम उत्तरवर्ती पचवर्षीय योजनाओ में भी इन क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से चुने हुए जिलो में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन जिलो में लगातार सूखे की स्थिति पर इस कार्यक्रम के प्रभाव का कोई व्यापक मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्याकन संगठन इसका मूल्याकन आरम्भ करने के लिए हाल में सहमत हुआ है। यथापि, कुछेक क्षेत्रीय योजनाओ के बारे मे कुछ राज्यो में किए गए छुट-पुट मूल्याकन अध्ययनो से पता चलता है कि इस कार्यक्रम का प्रभाव अधिकतर सीमित और ज्यादातर आधारभूत ढाचे के विकास से रुप में रहा है।यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्यक्रम ने इस जिलों में बार-बार पडने वाले सूखे की स्थिति का रोकने में कोई बड़ी सफलता प्राप्त की है।

(घ) सरकार ने इस कार्यक्रम का मूल्याकन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा० वाई० के अलाघ की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी जाच करेगी कि क्या इस कार्यक्रम को आठवीं योजना के दौरान जारी रखा जाना चाहिए या नहीं? इस सबध में कोई भी निर्णय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लिया जाएगा।

TV serials

1874. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) what are the names of the serials already approved for Saturday (afternoon)/Sunday and the 9.00 O clock slots on the other days/and likely to be shown during 1989;

(b) what are the names of the producers and the companies with their addresses and the serials already approved by the Doordarshan; and

(c) the total number of episodes alloted to each of the above serials?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) The information is given in Statement-I (*See* below)

(b) and (c) The information is given in Statement-II

Statement-I

Some sponsored serials earlier telecast are repeated on Saturday afternoon. Presently, serial "Darpan" is on the air. After that, serial "Aaa Bail mujhe Maar" will be telecast

Names of serials already slotted for Sunday morning transmission and approved for telecast at 9.00 P.M. on other days are given below:

Serials already slotted for Sunday morning transmission

1 Super Six
2 Lekhu
3. Ek Aur Parampra
4 Inderdhanush
5 Space City
6 Panch Tantra (HTA)
7 Mahabharat (Running)
8 Discovery of India (Running)
9 Hum Panchi Ek Dal Ke (Running)
10 Kennedy (Running)

Serials approved for 9.00 pm

Monday	1 Dr Saheb
	2. Lok Lok Ki Baat
	3 Gaurav
Tuesday	1 Mahanagar
	2 Panchi
	3 Sword of Tipu Sultan
Wednesday	1 Malgudi Days
	2 Boond Boond
Thursday	1 Muzzrim Hazir Hari
	2 Alag
Friday	1 Uttar Ramayan (Running)
Saturday	Katha Sagar
	2 Yogi
Sunday	1 Lahar Lahar Sangeet (Running)